ASCENSION ST. JOSEPH'S HOSPITAL
ASCENSION ST. MARY'S HOSPITAL
ASCENSION STANDISH HOSPITAL

वित्तीय सहायता नीति का सारांश

Ascension St. Joseph's Hospital, Ascension St. Mary's Hospital, और Ascension Standish Hospital उस प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा के प्रति एक प्रतिबद्धता और सम्मान रखता है, जो स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं पाने के लिए विशेष चिन्ताओं के साथ बाधाओं का सामना करते हैं। Ascension St. Joseph's Hospital, Ascension St. Mary's Hospital, और Ascension Standish Hospital की, संपूर्ण समुदाय के लिए सेवा के तौर पर अपने स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों को कायम रखने की समान प्रतिबद्धता है। इन सिद्धांतों को कायम रखने के लिए, Ascension St. Joseph's Hospital, Ascension St. Mary's Hospital, और Ascension Standish Hospital उन व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, जो Ascension St. Joseph's Hospital, Ascension St. Mary's Hospital, और Ascension Standish Hospital से आपातकालीन या चिकित्सीय रूप से अन्य आवश्यक देखभाल प्राप्त करते हैं। यह सारांश, Ascension St. Joseph's Hospital, Ascension St. Mary's Hospital, और Ascension Standish Hospital की वित्तीय सहायता नीति का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है।

कौन योग्य है?

आप वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। वित्तीय सहायता का निर्धारण आमतौर पर आपकी कुल घरेलू आय की तुलना संघीय गरीबी के स्तर से करके किया जाता है। यदि आपकी आय संघीय गरीबी स्तर के 250% से कम या इसके बराबर है, तो आपको उन शुल्कों के भाग पर 100% चैरिटी देखभाल राइट-ऑफ मिल सकता है, जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आपकी आय संघीय गरीबी के स्तर के 250% से अधिक है पर संघीय गरीबी के स्तर के 500% से अधिक नहीं है, तो आप को विसर्पी पैमाने (स्लाइडिंग स्केल) पर रियायती दरें प्राप्त हो सकती हैं। मरीज़ जो वित्तीय सहायता के लिए योग्य हैं, उनसे उपयुक्त इलाज के लिए बीमा कवरेज वाले मरीज़ों से आम तौर पर लिए जाने वाले शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए, कृपया 833-263-9783 पर फोन करें या हमारी वेबसाइट https://healthcare.ascension.org/financial-assistance/michigan पर जाएं।

कौन सी सेवाएं शामिल हैं?

वित्तीय सहायता नीति आपातकाल और अन्य आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल पर लागू होती है। इन शर्तों को वित्तीय सहायता नीति में परिभाषित किया गया है। वैकल्पिक सेवाएं वित्तीय सहायता नीति के द्वारा नहीं हैं।

मैं कैसे आवेदन कर सकता/सकती हूं?

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए, आप आमतौर पर वित्तीय सहायता नीति में दिए अनुसार एक लिखित आवेदन को पूरा करेंगे और साथ में सहायक दस्तावेज़ पेश करेंगे और वित्तीय सहायता नीति आवेदन देंगे।

मुझे आवेदन करने में मदद कैसे मिल सकती है?

यदि आपके कोई सवाल हैं, तो कृपया हमारे ग्राहक सेवा केंद्र को 833-263-9783 पर फोन करें।

मैं अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूं?

वित्तीय सहायता नीति और वित्तीय सहायता नीति आवेदन पत्र की प्रतियां https://healthcare.ascension.org/financial-assistance/michigan पर और वित्तीय रोगी फाइनेंशियल सर्विसिज डिपार्टमेंट में उपलब्ध हैं। वित्तीय सहायता नीति और वित्तीय सहायता नीति आवेदन पत्र की प्रतियां 833-263-9783 पर फोन करके डाक द्वारा या हमें PO Box 80278, Indianapolis, IN 46240 पर डाक से आवेदन का अनुरोध करते हुए पत्र भेजकर या प्रोसेसिंग के लिए सुरक्षित फैक्स नंबर 317-981-6312 पर फैक्स करके प्राप्त की जा सकती हैं।

अगर मैं योग्य नहीं हूं तो क्या होगा?

अगर आप वित्तीय सहायता नीति के तहत वित्तीय सहायता के लिए योग्य नहीं हैं, तो आप अन्य प्रकार की सहायता के लिए योग्य हो सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारे ग्राहक सेवा केंद्र को 833-263-9783 पर फोन करें।

वित्तीय सहायता नीति, वित्तीय सहायता नीति के आवेदन-पत्र और सामान्य भाषा में इस सारांश के अनुवाद अनुरोध पर उपलब्ध हैं।